हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

षष्टम् सत्र

समाचार भाग-1

संख्याः 48

सोमवार, 19 अगस्त, 2019/28 श्रावण, 1941(शक्)

सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख

समयः 2.00 बजे (अपराह्न)

सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष, डॉ0 राजीव बिन्दल की अध्यक्षता में 2.00 बजे अपराह्न आरम्भ हुई।

(राष्ट्रगान गाया गया)

माननीय अध्यक्ष का संबोधन

"इस वर्षाकालीन सत्र में भाग लेने के लिए मैं सभी माननीय सदस्यों का अभिनंदन करता हूं और अभार व्यक्त करता हूं। विशेष तौर पर माननीय सदन के नेता श्री जय राम ठाकुर जी, पूर्व में मुख्य मंत्री रहे आदरणीय श्री वीरभद्र सिंह जी, विपक्ष के नेता श्री मुकेश अगिन्होत्री, संसदीय कार्यमंत्री श्री सुरेश भारद्वाज जी, उपाध्यक्ष श्री हंस राज जी, सभी आदरणीय मंत्रिगण और विधायकगण वर्षाकालीन सत्र में भाग लेने के लिए पहुंचे हैं जिसके लिए उनका कोटिशः अभिनन्दन है। मैं आशा करता हूं कि यह वर्षाकालीन सत्र, जिसमें 11 कार्य-दिवस होंगे, इनका प्रदेश के हित में अधिक-से-अधिक उपयोग करके माननीय सदस्य लाभ उठाएंगे और अपनी बात को नियमों की परिधि में रख कर चर्चाओं को सार्थक बनाने में सहयोग करेंगे। मुझे सदन में सदैव पक्ष एवं प्रतिपक्ष दोनों का सहयोग

मिलता आया है और मैं आशा करता हूं कि वही सहयोग मुझे पुनः इस सत्र में भी प्राप्त होगा। "

1. शोकोद्‌गार

निम्नलिखित ने स्वर्गीय पंडित शिव लाल, चौधरी विद्या सागर, श्री शिव कुमार उपमन्यु, श्रीमती पदमा सिंह, पूर्व सदस्यों के साथ-साथ श्रीमती सुषमा स्वराज, पूर्व विदेश मंत्री-भारत सरकार, श्रीमती शीला दीक्षित, पूर्व मुख्य मंत्री- दिल्ली व श्री मनोहर पर्रिकर, पूर्व मुख्य मंत्री-गोआ; सोलन के कुमारहट्टी में भवन गिरने के हादसे में मारे गए सैनिकों तथा हाल ही में भारी वर्षा एवं बाढ़ के कारण मारे गए लोगों के निधन पर श्रद्धांजलि देते हुए शोकोद्‌गार व्यक्त किए -

1. श्री जय राम ठाकुर, माननीय मुख्य मन्त्री
2. श्री मुकेश अग्निहोत्री, नेता प्रतिपक्ष
3. श्री विपन सिंह परमार, माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री
4. श्री राकेश सिंघा
5. श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु
6. श्री बिक्रम सिंह जरयाल
7. श्रीमती आशा कुमारी

(माननीय सदस्य श्री राकेश पठानिया व श्री आशीष बुटेल सहित कई अन्य सदस्यों ने भी शोकोद्‌गार व्यक्त करने हेतु अपने नाम माननीय अध्यक्ष को दिए थे जिन्हें शोकोद्‌गार हेतु समय नहीं दिया जा सका लेकिन माननीय अध्यक्ष ने उनकी संवेदना भी दिवंगत सदस्यों के परिवारों तक पहुंचाने का आश्वासन दिया।)

माननीय अध्यक्ष ने शोकोद्‌गार व्यक्त करते हुए कहा-

"सदन के नेता माननीय मुख्य मंत्री ने स्वर्गीय पंडित शिव लाल जी, चौधरी विद्या सागर जी, श्री शिव कुमार उपमन्यु जी व श्रीमती पदमा सिंह, पूर्व सदस्यों के निधन पर जो शोकोद्‌गार प्रकट किए हैं, मैं भी स्वयं को उसमें शामिल करता हूं। श्रीमती पदमा सिंह जी जो पूर्व में सदस्य रही है, किन्हीं कारणों से उनके प्रति सदन में शोकोद्‌गार प्रस्तुत नहीं हो पाए थे। वर्ष 2017 में उनका निधन हो गया था। हम उनकी दिवंगत आत्मा के प्रति भी श्रद्धा प्रकट करते हैं। स्वर्गीय श्रीमती सुषमा स्वराज जी, श्रीमती शीला दीक्षित जी, श्री मनोहर पर्रिकर जी और पूर्व में मुख्य मंत्री रहे श्री जयपाल

रेड्डी जी का निधन भी इसी अवधि के दौरान हुआ है, हम उनके प्रति भी संवेदना व्यक्त करते हैं। इसके अतिरिक्त इसी अवधि में बाढ़ और दुर्घटनाओं में मारे गए लोगों के प्रति भी संवेदना व्यक्त करते हुए मैं इस सदन के सभी सदस्यों को इसमें शामिल करता हूं।"

(दिवंगत आत्माओं की शान्ति के लिए सदन में खड़े होकर कुछ क्षण के लिए मौन रखा गया।)

(दिन के लिए निश्चित तारांकित एवं अतारांकित प्रश्न कार्यवाही का हिस्सा बने।)

नियम-67 के अन्तर्गत चर्चा की मांग

श्री मुकेश अग्निहोत्री, नेता प्रतिपक्ष ने विधायक की संस्था की गरिमा एवं सम्मान को लेकर प्रश्न उठाते हुए श्री सतपाल सिंह रायजादा, विधायक के साथ हुए व्यवहार पर नियम-67 के अंतर्गत चर्चा हेतु दी गई सूचना पर माननीय अध्यक्ष से निर्णय चाहा। माननीय अध्यक्ष ने सूचित किया कि इसी विषय पर उन्हें श्री बलबीर सिंह, सदस्य द्वारा दी गई सूचना भी प्राप्त हुई है और यह सब सूचनाएं उनके विचाराधीन है। माननीय अध्यक्ष के इस निर्णय का कांग्रेस विधायक दल के सदस्यों ने अपने स्थान पर खड़े होकर विरोध किया।

सतापक्ष के सदस्य भी अपने स्थान पर खड़े होकर अपनी बात कहने लगे। कांग्रेस विधायक दल द्वारा नारेबाजी करने पर सत्तापक्ष के सदस्य भी नारेबाजी करने लगे। फिर कांग्रेस विधायक दल के सदस्य सदन के बीचोंबीच आकर नारेबाजी करने लगे।

(03.25 बजे अपराह्न सदन की बैठक 15 मिनट के लिए स्थगित की गई।)

(03.40 बजे अपराह्न सदन की बैठक पुनः आरम्भ हुई।)

(कांग्रेस विधायक दल के सदस्य सदन के बीचोंबीच खड़े होकर नारेबाजी करते रहे।)

सदन में नारेबाजी के बीच माननीय अध्यक्ष ने सूचित किया की नियम-67 के अन्तर्गत चर्चा नहीं होगी।

2. साप्ताहिक शासकीय कार्यसूची बारे वक्तव्य

श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री ने साप्ताहिक शासकीय कार्यसूची बारे वक्तव्य दिया।

3. स्वीकृत विधेयक सभा पटल पर

सचिव, विधान सभा ने उन निम्न विधेयकों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखी जिन्हें सदन द्वारा पारित किया गया है और महामहिम राज्यपाल महोदय की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है:-

1. हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 2019 (2019 का अधिनियम संख्यांक 4);
2. हिमाचल प्रदेश विनियोग अधिनियम (निरसन) विधेयक, 2019 (2019 का अधिनियम संख्यांक 5);
3. हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2019 (2019 का अधिनियम संख्यांक 6);
4. हिमाचल प्रदेश गोजातीय प्रजनन विधेयक 2019 (2019 का अधिनियम संख्यांक 7);
5. हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019 (2019 का अधिनियम संख्यांक 8); और
6. हिमाचल प्रदेश राजभाषा (संशोधन) विधेयक, 2019(2019 का अधिनियम संख्यांक 9).

5. अध्यादेश

श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 (1) के परन्तुक के अन्तर्गत राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, द्वारा दिनांक 08.08.2019 को प्रख्यापित, हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (विनिश्चत मामलों और लम्बित आवेदनों का अन्तरण) अध्यादेश, 2019 (2019 का अध्यादेश संख्यांक 1) की प्रति उन परिस्थितियों के स्पष्टीकरण के कथन सहित जिनके कारण उक्त अध्यादेश का प्रख्यापन आवश्यक हुआ, (हिन्दी-अंग्रेजी पाठ सहित) सभा पटल पर रखी।

(03.55 बजे अपराह्न कांग्रेस विधायक दल के सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया।)

6. नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

सूचना देने वाले सदस्यों के उपस्थित न होने के कारण नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं हुआ।

मुख्य मंत्री ने कांग्रेस विधायक दल के सदस्यों द्वारा सदन में अव्यवस्था पैदा करने को लेकर उनकी इस कार्रवाई की भर्त्सना की।

(कांग्रेस विधायक दल के सदस्य 04.00 बजे अपराह्न पुनः सदन में लौट आए और सदन के बीचोंबीच आकर नारेबाजी करने लगे।)

माननीय अध्यक्ष ने सदस्यों से शांति बनाए रखने की अपील की।

7. नियम-130 के अन्तर्गत प्रस्ताव

श्री राकेश जम्वाल, सदस्य ने निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किया एवं चर्चा की-

"जल परिवहन नीति पर यह सदन विचार करे।"

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया -

1. श्री राकेश पठानिया
2. श्री सुभाष ठाकुर
3. श्री होशयार सिंह
4. श्री जीत राम कटवाल

माननीय वन मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

मुख्य मंत्री द्वारा वक्तव्य

माननीय मुख्य मंत्री ने ऊना में पुलिस द्वारा हाल ही में दर्ज़ अभियोग तथा गिरफ्तारी की कार्रवाई की घटित घटना पर वस्तुस्थिति को स्पष्ट करते हुए सदन में वक्तव्य दिया।

कांग्रेस विधायक दल के सदस्यों ने अध्यक्षपीठ के समीप जा कर उन्हें नियम-67 के अन्तर्गत चर्चा उठाने का अवसर न देकर मुख्य मंत्री को

मामले में स्थिति स्पष्ट करने बारे वक्तव्य देने का अवसर प्रदान करने का विरोध किया। माननीय अध्यक्ष ने उन्हें अपनी सीटों पर जाने और वहां से अपनी बात कहने का निर्देश दिया।

मुख्य मंत्री ने सदन की कार्यवाही में व्यवधान पैदा करने के लिए कांग्रेस विधायक दल के सदस्यों की निदा एवं भर्त्सना की।

05.20 बजे अपराह्न सदन की बैठक मंगलवार, 20 अगस्त, 2019 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक स्थगित हुई ।